


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती मोहनी देवी बनाम खेमाराम अपील संख्या:—जीसीएमएस नम्बर 2024 / 556</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>08.10.25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट को आवाज लगवाई गई, उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। प्रकरण में पुनः रूक रूककर कई बार अधिवक्ता अपीलान्ट को आवाजें लगवाई गई किन्तु अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे एवं बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (पूनम) संभारणीय आयुक्त जयपुर </p>	